राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 354 / 2023 निर्णय दिनांक : 08.01.2024

विरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम अरूणा वगै0

विरेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह चौहान जाति रावणा राजपूत निवासी दूढ़िया तहसील गुढागोड़जी जिला झुन्झुनूं (राज०)

वादी

बनाम

1. अरूणा पुत्री कजोड़मल
2. ओमप्रकाश पुत्र कजोड़मल
3. कविता पुत्री गुलझारी
4. कृष्ण कुमार पुत्र गुलझारी
5. पवन पुत्र गुलझारी
6. बिमला देवी पत्नीगुलझारी
7. मंजू पुत्री कजोडमल
8. मनोज कुमार पुत्र गुलझारी
9. सुनिल कुमार पुत्र कजोड़मल
10. सरिता पुत्री गुलझारी
11. सीताराम पुत्र दुर्गा

समस्त जातिगण ब्राम्हमण निवासी दुडियां तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गुढागोड़जी जिला झुन्झुनूं (राज०)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

वाद वादी निम्नानुसार है -

वाके ग्राम दूढ़िया पटवार हल्का दूढ़िया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.1500 हैक्टर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2300 हैक्टर अवस्थित है। उपरोक्त भूमि विवादित भूमि है जिसे आगे दावे में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। विवादित भूमि वर्णित धारा 1 वादपत्र में वादी व प्रतिवादीगण 1

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि मे वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा अवशेष हिस्सा शेष प्रतिवादीगण का है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 मौके पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार एवं मौखिक विभाजन अनुसार काबिज काश्त है।

विवादित भूमि शामलाती भूमि है जिसका विधिवत विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। वैसे वादग्रस्त भूमि को वादी एवं सह खातेदार प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार अंदाज से काश्त करते है परन्तु भूमि शामलाती होने से भूमि का इच्छानुसार विकास करने एवं राजकिय सुविधा प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी होती है। इसलिए प्रस्तुत भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए वादी ने दिनांक 25.4.2022 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 से मिलकर विवादित भूमि का विभाजन करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण इन्कार हो गए। इसलिए प्रस्तुत भूमि का विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 21.09.2022 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से जिलों का पुर्नगठन होने पर पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुई जो दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः भू0अ0/2022/3827 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किये गये। वादी की ओर से एडवोकेट महेन्द्र कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकील वादी के निवेदन पर आज बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमावत ने निवेदन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाये। अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किया गया है। बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम दुड़ियां पटवार हल्का दुड़ियां तहसील तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू की सरहद स्थित भूमि हाल खसरा नं. 270, 271 रकबा क्रमशः 0.08, 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2022/3827 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.**

उनवान :– विरेन्द्र प्रतापसिंह बनाम अरूणा वगै0

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 08.01.2024

मुकदमा नं. :– 354 / 2023

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमावत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08.01.2024 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम दुड़ियां पटवार हल्का दुड़ियां तहसील तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू की सरहद स्थित भूमि हाल खसरा नं. 270, 271 रकबा क्रमशः 0.08, 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0 / 2022 / 3827 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय / डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी मुर्तिब किया जाता है। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वदी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 2	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज